15/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपस्थित पक्ष उक्त वाद परिणाम निरस्त किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/504

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 138/2023 GCMS:- 2023/504 **दायर दिनांक : 08.06.2023**

1. कृष्ण पुत्र धोकलराम } अकवाम जाट साकिनान सिंगरासर
2. रामप्रताप पुत्र धोकलराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. धोंकलराम पुत्र टिकुराम } अकवाम जाट साकिनान सिंगरासर
2. महावीर पुत्र धोंकलराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. औमप्रकाश पुत्र धोंकलराम }
4. रूकमा पुत्री धोंकलराम पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी सिंगरासर हाल पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर
5. उप—पंजीयक, सूरतगढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 15.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद वास्ते घोषणा व निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 आपस में भाई—बहिन हैं एवं प्रतिवादी सं. 1, वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 के पिता हैं। प्रतिवादी सं. 1 धोंकलराम के नाम [illegible] सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के खाता सं. [illegible] 117 के खसरा नं. 422 में 14.948 है0 व खसरा नं. 428 में 0.468 है0 कुल 15.416 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह भूमि अंकित काश्तकार की स्वयं

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:35 IST
Reason: SelfAttested

अर्जित सम्पत्ति न होकर गुला वल्द जोधा से प्राप्त होने से पैतृक प्राप्त सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 का बराबर का हिस्सा सहदायी सम्पत्ति होने से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2–3 की बहिन प्रतिवादी नं. 4 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को दे दिया, इसलिए प्रतिवादी सं. 4 जैरवाद भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से जैरवाद भूमि में अपने हक व हिस्सा की मांग की तो प्रतिवादी सं. 1 ने इन्कार कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि जैरवाद भूमि किसी अन्य को रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर वादीगण को उनके हिस्सा से वंचित कर देगा। प्रतिवादी सं. 1 उक्त तमाम भूमि अपने नाम अंकित होने का लाभ उठाकर कुल भूमि विक्रय करने पर उतारू है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि में से वादीगण को 2/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किये जाने व वाद के निर्णय तक प्रतिवादी सं. 1 को जैरवाद भूमि को रहन, बैय नहीं करने तथा मौका एवं रिकॉर्ड को यथावत बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किये जाकर साक्ष्य वादीगण प्राप्त किये गये। वादी सं. 1 कृष्ण ने स्वयं के व अपने चाचा रामचन्द्र पुत्र टीकुराम के बयान शपथ–पत्र पर करवाये, जिन पर जिरह शून्य रही। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द कर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने [illegible] में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण सं. 134 दिनांक 10.06.1967 द्वारा गुला वल्द जोधा से धोंकल पुत्र टीकू के नाम आई भूमि का अवलोकन करवाया एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करवाकर वादग्रस्त भूमि को गुला वल्द जोधा से आई हुई पैतृक भूमि बताते हुए इसमें बतौर सहदायी वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बताया। वाद को शपथ–पत्र के आधार पर सिद्ध मानते हुए, वादीगण को चाहे गये अनुतोष का अधिकारी बताकर वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की ओर पैरोकार राज ने राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि प्रथमतः, धोंकलराम को ग्राम सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 100 में 59 बीघा 4 बिस्वा भूमि बजरिये तमलीक नाम प्राप्त हुई है। वर्तमान में अनुतोष सिंगरासर के खसरा नं. 422 में 14.948 है0 व खसरा नं. 428 में 0.468 है0, कुल 15.416 है0 बारानी दोयम भूमि में मांगा जा रहा है। खसरा नं. 100 से खसरा नं. 422 व 428 किस प्रकार बने, इसके कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। द्वितीय, खसरा नं. 100 की 59 बीघा 4 बिस्वा भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि तमलीक नाम से प्राप्त भूमि है। यह पैतृक (उत्तराधिकार) से प्राप्त होना सिद्ध नहीं होती। कथनों को सन्देह से परे सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। धोंकलराम के पिता का नाम टीकू है, जबकि तमलीकनाम देहिन्दा गुला वल्द जोधा है।, धोंकलराम पुत्र टीकू का गुला वल्द जोधा से क्या सम्बन्ध है, वाद में स्पष्ट नहीं है। वाद वादीगण साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता, जिसे सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, इसलिए वाद वादीगण निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार साक्ष्यों से वाद सिद्ध नहीं होने से वाद वादीगण निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 15.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

1. **कृष्ण पुत्र धोकलराम**
2. **रामप्रताप पुत्र धोकलराम**

} **अकवाम जाट साकिनान सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

–वादीगण

बनाम

1. **धोंकलराम पुत्र टिकुराम**
2. **महावीर पुत्र धोंकलराम**
3. **औमप्रकाश पुत्र धोंकलराम**

} **अकवाम जाट साकिनान सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

4. **रूकमा पुत्री धोंकलराम पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी सिंगरासर हाल पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर**
5. **उप–पंजीयक, सूरतगढ़**
6. **राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 138 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राम प्रताप तिवाड़ी व पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

साक्ष्यों से वाद सिद्ध नहीं होने से वाद वादीगण निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.05.26 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:35 IST
Reason: SelfAttested